मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़
उत्तर प्रदेश पुलिस
मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन
कोतवाली मोहम्मदाबाद
1090
108
181
महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
102
1076
1098
112
Women Power Line

उत्तर प्रदेश पुलिस

मिशन शक्ति 5.0

उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं

कोतवाली फर्रूखाबाद

1090
Women Power Line

1090
108
181
महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
102
1076
1098
112

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

महिला थाना

1090
Women Power Line

#Fatehgarhpolice

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

थाना कमालगंज

#Fatehgarhpolice

मिशन शक्ति 5.0
उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं
मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन
थाना कादरीगेट
1930
101
112
108
1098
181
102
1090
1076
Fatehgarhpolice

मिशन शक्ति 5.0
उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं
मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन
थाना कादरीगेट
1076
Fatehgarhpolice

मिशन शक्ति 5.0

थाना जहानगंज

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

थाना कम्पिल

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

थाना शमसाबाद

मिशन शक्ति 5.0

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
1090 181 1076 112 1098 102 108

थाना राजेपुर

फतेहगढ़ पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फर्रुखाबाद

दि0-13.01.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त रमन जाटव पुत्र गेंदालाल निवासी खिन्नी नगला हाल पता निवासी नरायणपुर कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0- 2062/2009 वाद संख्या 57/2010 धारा 304 भा0द0वि0 कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम द्वारा दिनांक 13.01.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

एडीजीसी - श्री हरिनाथ सिंह

को0मो0 हे0का0 अजय कुमार

पैरोकार का0 धर्मेन्द्र कुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना राजेपुर

दि0-13.01.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त रजत पुत्र सुधीर निवासी भरखा थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0- 217/2018 वाद संख्या 227/2018 धारा 304/452 भादवि0 थाना राजेपुर जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***मा0 न्यायालय डी0जे0 कोर्ट द्वारा दिनांक 13.01.2026 को अभियुक्त रजत को दोषसिद्ध कर 07 वर्ष के कारावास की सजा 35000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

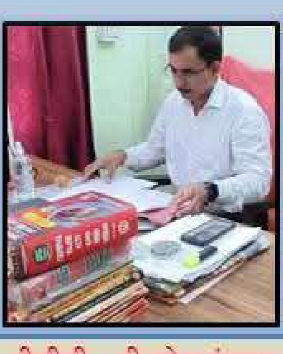

डीजीसी - श्री सुदेश गंगवार

एडीजीसी - श्री पंकज कटियार

को0 मो0 - आ0 जसबीर सिंह

पैरोकार - का0 संजीव कुमार

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फर्रुखाबाद

दि0-13.01.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त रमन जाटव पुत्र गेंदालाल निवासी खिन्नी नगला हाल पता निवासी नरायणपुर कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ मु0अ0स0- 2081/2009 वाद संख्या 58/2010 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट कोतवाली जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए *मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम द्वारा दिनांक 13.01.2026 को अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 02 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

एडीजीसी - श्री हरिनाथ सिंह

को0मो0 हे0का0 अजय कुमार

पैरोकार का0 धर्मेन्द्र कुमार